



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



3 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 135 राँची, मंगलवार,

24 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप (कोर्ट केस)-5-12/2020 का०- 343-चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-469/ मन०, दिनांक 26.07.2016 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं०-9899, दिनांक 18.09.2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-30, दिनांक 24.01.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित चारों आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा श्रीमती मड़की के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

4. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती मड़की द्वारा दायर W.P.(S) No.-2082/2020- Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश में श्रीमती मड़की के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्डादेश को निरस्त कर

दिया गया है एवं संबंधित मामले को विभाग को वापस करते हुए न्यायोदश में अंकित निदेश के अनुरूप Fresh विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया।

5. उक्त आदेश के आलोक में श्रीमती मड़की के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-27268, दिनांक 13.01.2025 पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

6. विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-509, दिनांक 26.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती मड़की के विरुद्ध प्रतिवेदित चारों आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

7. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

8. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

9. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के तहत दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती मड़की को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्रीमती मड़की के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्रीमती मड़की के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-27268, दिनांक 13.01.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्रीमती मड़की के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव।
